

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात।

विज्ञप्ति

संख्या 1253 / जि0आ0अ0 / दैनिक व्यवस्थापन / 2025-26 / का0दे0 / दिनांक फरवरी 25, 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कानपुर देहात में निलम्बित कम्पोजिट शॉप कंचौसी (शॉप आई0डी-40735) (विदेशी मदिरा हेतु दैनिक एम0जी0आर0 रू0 17810/- तथा 14 दिवस का कुल विदेशी मदिरा हेतु एम0जी0आर0 रू0 2,50,000/- व बीयर हेतु दैनिक एम0जी0आर0 रू0 8220/- तथा 14 दिवस का कुल बीयर हेतु एम0जी0आर0 रू0- 1,15,100/-) का दिनांक 28.02.2026 से दिनांक 13.03.2026 (14 दिवस) तक अथवा नियमित व्यवस्थापन तक, जो भी पहले हो, ऑफर के माध्यम से अन्तरिम व्यवस्थापन किया जाना है।

दुकान चलाने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 27.02.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(संजय यादव-।।) 25.02.26
जिला आबकारी अधिकारी,
कानपुर देहात।

संख्या एवं दिनांक- यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात।
- 2- विज्ञापन व्यवस्थापक (1) दैनिक भास्कर, (2) अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को दिनांक 26/02/2026 को अपने समाचार पत्र में सीमित एवं अल्प स्थान में प्रकाशित कर जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा दर सत्यापित कराकर बिल उपलब्ध करायें।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति जनपद की वेबसाइट <https://kanpurdehat.nic.in> पर अपलोड करायें।
- 4- सेवा प्रदाता (Oysis Cybernetcs PVT LTD), लखनऊ, उत्तर प्रदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करायें जाने हेतु प्रेषित।

(संजय यादव-।।) 25.02.26
जिला आबकारी अधिकारी,
कानपुर देहात।